न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 107 / 2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) डेगाना		1. भागु पुत्र जयराम माली साकिन आलनियावास (फौत) के कायम मुकामान– 1/1 घीसाराम पुत्र भागुराम 1/2 गोरधन राम पुत्र भागुराम 1/3 पतासी पुत्री भागुराम 1/4 सुगनी पुत्री भागुराम सभी कौम माली साकिन आलनियावास

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक : 03-09-2019

प्रार्थी तहसीलदार डेगाना ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय अपर कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर कलक्टर नागौर ने उक्त प्रकरण उनके न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होना अवगत कराते हुऐ उक्त प्रकरण पत्रांक–एडीएम/कोर्ट/726 दिनांक 24.07.2014 के द्वारा इस न्यायालय को भिजवाये जाने पर यह प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा की एकतरफा बहस सुनी। राजपैरोकार ने प्रकरण में अंतिम बहस सुने जाने से पूर्व प्रकरण में तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला दिनांक 02.02.2012 के बिन्दु संख्या–1 में आवंटी के नाम में संशोधन के संबंध में बहस सुनी जाने का निवेदन किया, जिस पर उक्त बिन्दु पर राजपैरोकार की बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि मौजा आलनियावास के खसरा नम्बर 1484/835 रकबा 15 बीघा भूमि अप्रार्थी भागु पुत्र जयराम माली साकिन आलनियावास को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् दिनांक 03.12.78 को आंवटन हुई थी, परन्तु तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला दिनांक 02.02. 2012 में अंकित बिन्दु संख्या 1 में उक्त आवंटन अप्रार्थी भागु जो फौत हो चुका है के पुत्र घीसराम का नाम सहवन से अंकित कर दिया, जो नामान्तकरण संख्या 465 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रति से तथा ग्राम आलनियावास की जमाबन्दी संख्या 894 नई, 856 पुरानी संवत 2060 से 2063 से भी साबित है कि उक्त आवंटन अप्रार्थी भागु को किया गया था, क्योकि उक्त जमाबन्दी के अनुसार खसरा संख्या 1484/235 के रकबा 15 बीघा भागु पुत्र जयराम कौम माली सा0 देह का नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। इसलिए तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला दिनांक 02.02.2012 के बिन्दु संख्या–1 में घीसाराम पुत्र भागू के स्थान पर सही आवंटी भागु पुत्र जयराम माली जाति माली साकिन आलनियावास पढ़ा जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। राजपैरोकार द्वारा उपरोक्तानुसार किया गया कथन उचित है। अतः तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला दिनांक 02.02.2012 के बिन्दु संख्या–1 में घीसाराम पुत्र भागू के स्थान पर भागु पुत्र जयराम माली जाति माली साकिन आलनियावास पढ़ा जाकर निर्णय किया जाना उचित है। अतः तद्नुसार अनुमति के साथ राजपैरोकार की प्रार्थी की ओर से बहस अंतिम सुनी गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा आलनियावास के खसरा नम्बर 1484/235 रकबा 15.00 बीघा भूमि अप्रार्थी भागु पुत्र जयराम माली जाति माली साकिन आलनियावास को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 465 ग्राम आलनियावास भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज

की गई थी, जो नामान्तरणकरण की प्रति से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी भागू को उक्त भूमि वर्ष 1967 में आंवटन हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया जो ग्राम आलनियावास की खसरा गिरदावरी संवत् 2064–2068 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी भागू को आंवटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है, जो पटवारी हल्का आलनियावास की फर्द मौका रिपोर्ट 12.09.11 से सुस्पष्ट होने का कथन करते हुऐ अप्रार्थी भागू को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। मौजा आलनियावास के खसरा नम्बर 1484 / 235 रकबा 15 बीघा भूमि अप्रार्थी भागु पुत्र जयराम माली साकिन आलनियावास को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 465 भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी, जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या–465 व जमाबन्दी संख्या 894 नई, 856 पुरानी ग्राम आलनियावास तहसील डेगाना संवत 2060 से 2063 से भी साबित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला दिनांक 02.02.2012 के अनुसार अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन वर्ष 1967 में किया गया है। पटवारी आलनियावास की फर्द मौका रिपोर्ट रूबरू मौतबिरान दिनांक 12.09.2011 के अनुसार मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम आलनियावास तहसील डेगाना संवत 2064 व 2068 के अनुसार वादग्रस्त खसरा की भूमि के संबंध में गिरदावरी न जोते गये क्षेत्रफल का ब्यौरा में प0ज0 15 अंकित किया गया है। इस प्रकार पटवारी फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है एवं खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) के अनुसार भी आवंटी की काश्त दर्ज नहीं है, जो आवंटन आदेश की शर्तों का उल्लघंन होने से अप्रार्थी भागु पुत्र को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला आवेदन स्वीकार किया जाता है। ग्राम सथाना में अप्रार्थी भागु पुत्र जयराम माली साकिन आलनियावास के नाम पर खसरा नम्बर 1484 रकबा 15 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। संबंधित तहसीलदार को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर सरकारी तहवील में लिये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार डेगाना व रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 12:32:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: